

MPR 00248

PG-02

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर

क्रमांक: एफ-3/पी.बू-2/3851
रजिस्टर्ड

दिनांक: 28-10-96

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(ए) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर क्षेत्रीय समिति, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, लुधियाना को सत्र 96-97 से एक वर्षीय नियमित बी.एड. (सेकेण्डरी) पाठ्यक्रम में 25 छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के लिये मान्यता प्रदान करती है।

यह मान्यता उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के अन्तर्गत कार्यवाही न होने तक जारी रहेगी।

आज्ञा से

(डा. अनिल शुक्ला)
क्षेत्रीय निदेशक

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. शासन सचिव, शिक्षा, पंजाब सरकार, पंजाब सचिवालय, पंजाब
 2. शिक्षा निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, पंजाब सरकार
 3. कुल सचिव, पंजाब कृषि विप्लवविद्यालय, लुधियाना, पंजाब
 4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्/संस्थान, पंजाब
 5. प्रधानाचार्य, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब
 6. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
 7. कार्यालय आदेश फाइल
 8. भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु
 9. गार्ड फाइल

(डा. अनिल शुक्ला)
क्षेत्रीय निदेशक